परिपत्र संख्या 2/1/2017 - आईजीएसटी

फाइल संख्या 354/173/2017-टीआरयू

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

कर अनुसंधान एकक

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक सितम्बर, 2017

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त/आयुक्त, केन्द्रीय कर (सभी)/प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक/सभी

महोदया/महोदय,

विषय: अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा प्रदान की गई उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं से संबंधित स्पष्टीकरण ।

अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटिड जो कि भारत सरकार के पूर्णतया स्वामित्व में आने वाली एक कंपनी है और अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है के द्वारा अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों ही ग्राहकों को प्रदान की गई उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं पर कर लगाने से संबंधित अनुरोध प्राप्त हुआ है ।

2. उपर्युक्त संदर्भ में जीएसटी कानून से संबंधित विधिक प्रावधान इस प्रकार हैं ;

(क) 'सेवाओं का निर्यात' को आईजीएसटी एक्ट की धारा 2(6) में परिभाषित किया गया है जिसमें वे पांच शर्तें दी गई हैं जो कि निर्यात सेवा के रूप में अर्हता हेतु किसी आपूर्ति के लिए आवश्यक है ;

(i) सेवा का आपूर्तिकर्ता भारत में अवस्थित हो;
(ii) सेवा का प्राप्तकर्ता भारत के बाहर अवस्थित हो;
(iii) सेवा की आपूर्ति का स्थान भारत के बाहर हो;
(iv) ऐसी सेवा के लिए भुगतान सेवा के आपूर्तिकर्ता को परिवतनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त हुआ हो;
(v) सेवा का आपूर्तिकर्ता और सेवा का प्राप्तकर्ता धारा 8 के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार केवल मात्र अलग-अलग प्रतिष्ठान न हो ;

.....2/-

'सेवा के निर्यात' पर विचार करने के लिए सेवा के निर्यात से संबंधित पांच शर्तों में एक शर्त यह भी है कि सेवा की आपूर्ति का स्थान भारत के बाहर हो ।

(ख) आईजीएसटी एक्ट की धारा 13 (9) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि जहां सेवा का आपूर्तिकर्ता का स्थान या सेवा के प्राप्तकर्ता का स्थान भारत के बाहर हो वस्तुओं के परिवहन की सेवा की आपूर्ति का स्थान, मेल या कूरियर से भिन्न, वह स्थान होगा जो कि ऐसी वस्तुओं का गंतव्य स्थान हो । बहरहाल जहां आपूर्तिकर्ता का स्थान या सेवाओं की प्राप्तकर्ता का स्थान भारत में हो वहां आपूर्ति का स्थान आईजीएसटी एक्ट की धारा 12 (8) के तहत अधिशासित होता है जिसमें यह निर्दिष्ट है कि आपूर्ति का स्थान सेवा के प्राप्तकर्ता के स्थान को माना जाएगा बशर्ते की वह पंजीकृत हो ; यदि वह पंजीकृत नहीं है तो आपूर्ति का स्थान वह स्थान माना जाएगा जहां इन वस्तुओं को परिवहन के लिए हस्तगत किया जाएगा ।

3. उपुर्यक्त बातों को देखते हुए, अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को अंतरीक्ष कारपोरेशन लिमिटिड के द्वारा आपूर्ति की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवा कि आपूर्ति आईजीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 13 (9) के अनुसार भारत के बाहर मानी जाएगी और ऐसी आपूर्ति आईजीएसटी एक्ट की धारा (6) की शर्तों को पूरा करती है और इस प्रकार यह सेवा का निर्यात मानी जाएगी और आईजीएसटी एक्ट की धारा 16 के अनुसार यह जीरो रेटिड होगी । जहां अंतरीक्ष कारपोरेशन लिमिटिड के द्वारा उपग्रह प्रक्षेपण की सेवा किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान की जाती है जो कि भारत में अव्यवस्थित है तो इस उपग्रह प्रक्षेपण सेवा की आपूर्ति का स्थान आईजीएसटी की धारा 12 (8) के द्वारा अधिशासित होगी और इस पर जीसीएसटी एक्ट, यूजीएसटी एक्ट या आईजीएसटी एक्ट, जो भी लागू हो उसके अंतर्गत कर लगाया जाएगा ।

4. इस परिपत्र के लागू होने पर यदि कोई कठिनाई आ रही हो, तो उसे बोर्ड की जानकारी में लाया जाए ।

भवदीया,

(रचना)
टेक्निकल ऑफिसर (टीआरयू)
ई-मेल : rachna.irs@gov.in